दिनांक 31.05.2016 को 4.00 बजे अपराह्न में कृषि विभाग, विकास भवन, पटना के सभाकक्ष में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स की कृषि की उप समिति की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड द्वारा बतलाया गया कि फसल उत्पादन बढ़ाने के उदेश्य से जल संरक्षण (Water Conservation) के सम्बन्ध में राज्य के करीब 5000 गाँवों में नबार्ड द्वारा कृषकों की जानकारी हेतु जागरूकता अभियान (awarenrss Programme) चलाने का कार्यक्रम है। उन्होनें राज्य सरकार के तंत्र एवं बैंक अधिकारियों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपेक्षित सहयोग हेतु अनुरोध किया।

   (कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०, पटना/नबार्ड, मौर्यालोक, पटना)
3. कृषि निदेशक द्वारा बतलाया गया कि जिला स्तर पर खरीफ अभियान का कार्यक्रम जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा आयोजित की जाती है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है। अतः नबार्ड द्वारा जल संरक्षण जागरूकता अभियान से सम्बन्धित पम्पलेट/अन्य सामग्री जिला लीड बैंक प्रबन्धक (LDM) के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय तथा इसकी प्रति कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि निदेशालय स्तर से भी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यकता निदेश निर्गत किया जा सके।

   (कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०, पटना/नबार्ड, मौर्यालोक, पटना)
4. निदेशक, पी० पी० एम० द्वारा बतलाया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के 23 जिले जहाँ पानी का जल स्तर नीचे चला गया है, कार्यान्वित की जा रही है तथा यह योजना 40 करोड़ रूपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही है।
5. अन्य Allied activities (Dairy, Fishery) अन्तर्गत ऋण वितरण की स्थिति पर कृषि निदेशक द्वारा चिंता व्यक्त की गई तथा लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि कम होने के कारणों के सम्बन्ध में बैंक अधिकारियों से जानकारी ली गई तथा अधिक से अधिक संख्या में कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

   (कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०, पटना)
6. निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा बतलाया गया कि गत वर्ष 704 आवेदन में से मात्र 29 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है। उन्होने बतलाया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएँ Bank linked हैं। परन्तु बैंकों से सहयोग नहीं मिलने के कारण राशि जिले में पड़ी रह जाती है। उन्होनें बैंक अधिकारियों से आवश्यक सहयोग हेतु अनुरोध किया। हेचरी के लिए अलग से ऋण स्वीकृति हेतु कार्रवाई का सुझाव दिया गया। आवेदक का आवेदन किसी बैंक द्वारा अस्वीकृत होने की स्थिति में लम्बित नहीं रखा जाय। उन्हें वापस कर दिया जाय ताकि आवेदक अन्य बैंक में जो ऋण की स्वीकृति हेतु तैयार हों से सम्पर्क स्थापित कर सकें।
7. कृषि निदेशक द्वारा जिन बैंकों द्वारा पशुपालन/मत्स्यपालन के क्षेत्र में ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदन लम्बित है उनके बैंकों के प्रधान कार्यालय के प्रमुख को बैठक बुलाकर प्रत्येक माह समीक्षा करने का सुझाव दिया गया।

   (कार्रवाई–निदेशक, पशुपालन विभाग
   निदेशक, मत्स्यपालन विभाग)
8. भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में नए किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक है यह संभव नहीं है। बैंक अधिकारियों द्वारा Yes Bank के आंकड़े की पुनरावृत्ति के कारण आंकड़ों में त्रूटि की जानकारी दी गई। कृषि निदेशक द्वारा सम्बन्धित बैंक अधिकारी को बुलाकर त्रूटिपूर्ण आंकड़े को

संशोधित करने तथा दोषी बैंक अधिकारी पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध सहायक महाप्रबंधक, एस०एल०बी०सी० / भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि से किया गया।

(कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०, पटना,
भारतीय रिजर्व बैंक, पटना)

9. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि द्वारा डेयरी योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 का अनुदान की राशि विमुक्त नहीं होने की सूचना दी गई।

(कार्रवाई– निदेशक, पशुपालन, बिहार)

10. पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि द्वारा पूर्व वर्ष का कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की राशि उपलब्ध कराने हेतु नबार्ड से अनुरोध किया गया। मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के कारण ब्याज अनुदान नहीं मिलने की सूचना दी गई।

(कार्रवाई– नबार्ड, पटना)

11. किसान क्रेडिट कार्ड आवेदनों के On Line सृजित करने की सूचना केनरा बैंक के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया। अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों से भी किसान क्रेडिट कार्ड / Allied activities (Dairy, Fishery, Poultry) में On Line आवेदन सृजित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई–एस०एल०बी०सी०, पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

03/6/16

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2486 दिनांक : 07-6-16

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला डाक बंगला रोड, पटना / सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, संयोजक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण व्यवसायी ईकाई –1, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पांचवा तल्ला, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना / सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/6/16

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2486 दिनांक : 07-6-16

प्रतिलिपि : निदेशक, पशु एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, डेयरी विकास, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / उप महाप्रबंधक, कम्फेड, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक(सां०), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकरी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना / उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना / उप निदेशक(शष्य), पी0पी0एम0 कोषांग, बिहार, पटना / सहायक कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/6/16

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2486 दिनांक : 07-6-16

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03/6/16

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।